रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, मई 14, 1992/वैशाख 24, 1914
No. 287] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 1992/VAISAKHA 24, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 1992

का.आ. 330(अ) :—लिबरेशन टाइगर्स आफ तमिल ईलम (जिसे इसमें इसके पश्चात् लिट्टे कहा गया है) एक ऐसा संगम है जिसका आधार वस्तुतः श्रीलंका में है और जिससे सहानुभूति रखने वाले, समर्थक और अभिकर्ता भारत की भूमि पर हैं, और:—

(i) लिट्टे का सभी तमिलों के लिए स्वदेश का उद्देश्य, भारत की प्रभुता और प्रादेशिक अखंडता को विच्छिन्न करना है और इस प्रकार विधिविरुद्ध क्रिया की परिधि के भीतर आता है;

(ii) लिट्टे ने तमिल नेशनल रिट्रीवल ट्रूप्स (टी एन आर टी) की रचना की है और उसने अपने सदस्यों को भारत में विधिविरुद्ध क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित किया है और उनकी सहायता की है;

(iii) लिट्टे यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) को, जो एक विधिविरुद्ध संगम है, प्रोत्साहित करता है और उसकी सहायता करता है;

(iv) व्यक्तियों और संगठनों को विधिविरुद्ध क्रिया करने के लिए और भारतीय दंड संहिता की धारा 153ख के अधीन दंडनीय कोई कार्य करने के लिए लिट्टे से प्रेरणा और प्रोत्साहन प्राप्त होता है ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि पूर्वोक्त कारणों से लिट्टे एक विधिविरुद्ध संगम है,

और केन्द्रीय सरकार की यह और राय है कि लिट्टे के क्रियाकलापों के कारण, लिट्टे को तात्कालिक प्रभाव से विधिविरुद्ध घोषित करना आवश्यक है;

अतः, केन्द्रीय सरकार विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 (1967 का 36) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लिबरेशन टाइगर्स आफ तमिल ईलम को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है और उस धारा की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना किसी ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किया जाए, राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. I-11034/57/92-आई.एस.डी.-आई (बी.)]

अशोक भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 1992

S. O. 330 (E):—Whereas the Liberation Tigers f Tamil Eelam (hereinafter referred to as LTTE) an association actually based in Sri Lanka and aving sympathisers, supporters and agents on ndian soil and whereas—

(i) LTTE's objective for a homeland for all Tamils disrupts the sovereignty and territorial integrity of India and thus appears to fall within the ambit of an unlawful activity;

(ii) LTTE has created the Tamil National Retrieval Troops (TNRT) and encouraged and aided its members to undertake unlawful activities in India;

(iii) LTTE encourages and aids United Liberation Front of Assam (ULFA) which is an unlawful association;

(iv) Persons and organisations derive inspiration and encouragement from LTTE for their unlawful activities as well as activities punishable under Section 153 B of the Indian Penal Code;

And whereas the Central Government is of the opinion that for the reasons aforesaid, the LTTE is an unlawful association;

And whereas the Central Government is further of the opinion that because of the activities of the LTTE, it is necessary to declare the LTTE to be unlawful with immediate effect;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Liberation Tigers of Tamil Eelam to be an unlawful association and directs in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section that this Notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. I-11034/57/92—IS DI(B)]

ASHOK BHATIA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992